बनाम

1/8/14	पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। पूर्व कार्य के अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा (जा सका) निर्णय आदेश हेतु दिनांक 19.8.14 को पेश हो। [illegible]
13/8/14	पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई। समयाभाव (पूर्व कार्य) के कारण निर्णय नहीं लिखा (जा सका) [illegible] है तथा [illegible] हेतु दिनांक 12/08/14 को पेश हो। [illegible]
12/08/14	P.O Sb [illegible] [illegible]
25/08/14	[illegible] [illegible] पेश हुई [illegible] [illegible] [illegible] पेश [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 3.9.14 को पेश हो। [illegible]
13/7/14	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदेश दिनांक 18/7/14 को पेश हो।
14/7/14	मिसल आज आदेश हेतु पेश हुई [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मिसल [illegible] मिसल [illegible] हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

मुकदमा नंबर – 46 / 2018

1. भंवर लाल
2. छोटूराम
3. भेभाराम
4. खुमानाराम
5. जवाहर मल

पुत्रगण स्व. तनसुख जाति जाट निवासीगण रूपपुरा तहसील धोद जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. मदन लाल पुत्र पोखर
2. सोहनी देवी पुत्री पोखर
3. रामकौरी देवी पुत्री पोखर
4. चन्द्री देवी पुत्री पोखर

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूपपुरा तहसील धोद जिला सीकर

5. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति–

1. श्री अमरसिंह सुण्डा वकील वादीगण की ओर से
2. श्री ईश्वरलाल यादव वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय दिनांक– 19.07.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम रूपपुरा प.मं. नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर की तन में भूमि खसरा नं0 19, 20, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 131, 132 अवस्थित है। जिसमें वादीगण के दादा देवा का 1/4 हिस्सा था देवा के फौत होने पर ना.करण सं. 67 दिनांक 15.05.86 के द्वारा स्व. देवा के बजाय तनसुख, पोखर पिता देवा का 1/4 हिस्सा दर्ज हुआ। भूमि खसरा नं0 131 रकबा 0.29 है0 गै0मु0 बाड़ा, 132 रकबा

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

0.20 है0 किता 2 कुल रकबा 0.49 है0, जिसमें भी वादीगण के दादा देवा का 1/4 हिस्सा था व देवा के फौत होने पर उसके वारिस तनसुख, पोखर का 1/4 हिस्सा हो गया। उक्त खसरा नंबर 131 व 132 ग्राम के नजदीक होने के कारण व जमाबंदी में खाता अलग होने के कारण स्व. देवा के 1/4 हिस्से में प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पिता पोखर के नाम ही दर्ज हो गया, पोखर के फौत होने पर उसके वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 4 के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी तथा वादीगण के पिता स्व. तनसुख के नाम दर्ज होना सहवन से रह गयी जबकि आज भी उक्त खसरा नं0 131, 132 के 1/4 हिस्से में से 1/2 हिस्सा वादीगण का ही है और उस पर काबिज है। वादीगण ने जब दिनांक 12.05.2018 को पटवारी हल्का से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी निकलवायी तो पता चला कि उक्त खसरा नंबर में नाम ही दर्ज नहीं है तब वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को कहा कि हमारा नाम खसरा नं. 131 व 132 में दर्ज होने से रह गया तब प्रतिवादी ने कहा कि राजस्व अभियान आयेगा तब मैं अपनी बहिनों को बुलाकर करवा दूंगा। अभियान में वादीगण ने कहा तो प्रतिवादी सं. 1 ने कहा कि आज बहिनें नहीं आ सकती, दुबारा कभी तहसील में जाकर आपके नाम खातेदारी में दर्ज करवाने के लिए लिखकर दे देंगे। इस प्रकार वादीगण को प्रतिवादीगण 1 ता 4 आश्वासन देते रहे। दिनांक 16.08.18 को वादीगण ने पुनः प्रतिवादी सं. 1 को कहा कि हमें किसान कार्ड बनवाना है, हमारे हिस्से की भूमि मे नाम दर्ज करवाने की सहमति अपनी बहिनों को बुलाकर देदों तब प्रतिवादी सं. 1 ने कहा कि मैंने कह दिया है कि वे नहीं आ रही है आप न्यायालय में दावा पेश करके अपने हिस्से की भूमि में नाम दर्ज करवा लो, इस कारण से यह वाद कारण उत्पन्न हुआ और माननीय न्यायालय में यह वाद रिकार्ड दुरूस्ती के लिए पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी सं. 5 भूमिधारक है इसलिए आवश्यक पक्षकार है जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने के लिए 2 माह का नोटिस देना आवश्यक है परन्तु वाद की आवश्यकता होने के कारण 2 माह का नोटिस देना संभव नहीं है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए अलग से आवेदन पेश किया जा रहा है। विवादित भूमियां ग्राम रूपपुरा प.मं. नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नंबर 131 रकबा 0.20 है0, 132 रकबा 0.20 है0 में प्रतिवादीगण के 1/4 हिस्से में से वादीगण का नाम भी 1/2 हिस्से में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की उदघोषणा की जावें।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से वकील श्री ईश्वरलाल यादव हाजिर हुए एवं इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार करने में उतरदातागण को कोई आपति नहीं है।

3. बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने वाद में वर्णित अनुसार वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 131 व 132 वाके ग्राम रूपपुरा प. मं. नेतड़वास तहसील धोद में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के 1/4 हिस्से में से वादीगण का नाम भी 1/2 हिस्से में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने दावा डिक्री किये जाने में सहमति व्यक्त की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. हमने वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। जमाबंदी संवत् 2072–75 वाके ग्राम रूपपुरा प.मं. नेतड़वास तहसील धोद के खसरा नंबर 131 व 132 किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की खातेदारी 1/4 हि0 दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2041 से 2060 में ना.सं. 67 दिनांक 15.05.86 के अनुसार देवा के बजाय उसके वारिस तनसुख, पोखर पिता देवा हि0 1/4 अंकित है। जमाबंदी संवत् 2060–63 में अकेले पोखर पिता देवा हि. 1/4 का अंकन हो गया एवं तनसुख पिता देवा का नाम छूट गया। खातेदार पोखर पुत्र देवा के देहान्त होने से उनके वारिसान के नामों का अंकन जमाबंदी संवत् 2064–67 में दर्ज हो गया। ऐसी स्थिति में वादीगण के नाम खातेदारी उदघोषणा की जानी न्यायोचित है। अतः वादी वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 131 व 132 किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम रूपपुरा प.मं. नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर में वादीगण भंवरलाल, छोटूराम, भेभाराम, खुमाणाराम, जवाहर मल पुत्रगण स्व. तनसुख जाति जाट सा.देह को हि. 1/8 का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

जाता है तथा खातेदार मदनलाल पुत्र पोखर, सोहनी, रामकोरी, चन्द्री पुत्रियां पोखर हि. 1/4 जाति जाट सा.देह के स्थान पर केवल हिस्सा 1/4 के बजाय हि. 1/8 दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 19.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

भंवर लाल आदि बनाम मदन लाल आदि

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक 19.07.2019

मुकदमा नंबर 32 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री अमरसिंह सुण्डा वकील मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री ईश्वरलाल यादव वकील मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 131 व 132 किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 वाके ग्राम रूपपुरा प.मं. नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर में वादीगण भंवरलाल, छोटूराम, भेभाराम, खुमाणाराम, जवाहर मल पुत्रगण स्व. तनसुख जाति जाट सा.देह को हि. 1/8 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा खातेदार मदनलाल पुत्र पोखर, सोहनी, रामकोरी, चन्द्री पुत्रियां पोखर हि. 1/4 जाति जाट सा.देह के स्थान पर केवल हिस्सा 1/4 के बजाय हि. 1/8 दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख तारीख मूलयाबी तफ .... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह जुलाई सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकालत नामा	1	00
स्टाम्प वकालत नामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	4	00	मिजान	1	00
मिजान	9	00			

नोट– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाह डिगरी के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

मुकदमा नंबर – 46 / 2018

1. भंवर लाल
2. छोटूराम
3. भेभाराम
4. खुमानाराम
5. जवाहर मल

पुत्रगण स्व. तनसुख जाति जाट निवासीगण रूपपुरा तहसील धोद जिला सीकर
–वादीगण

ब ना म

1. मदन लाल पुत्र पोखर
2. सोहनी देवी पुत्री पोखर
3. रामकोरी देवी पुत्री पोखर
4. चन्द्री देवी पुत्री पोखर

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूपपुरा तहसील धोद जिला सीकर

5. तहसीलदार, धोद जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति–

1. श्री अमरसिंह सुण्डा वकील वादीगण की ओर से
2. श्री ईश्वरलाल यादव वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से

दिनांक– 19.07.2019

निर्णय

(राजपाल यादव)

उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner